Chandrakant Shah case under section 224 IPC

1. Judgment of Chief Judicial Magistrate
   acquitting Chandrakant Shah, under section 224 I.P.C.
   for escaping from judicial custody
   dt. 29.4.1995
2. Letter by Chattisgarh Mukti Morcha Counsels
   to Collector Raipur, to file appeal

3. Appeal filed in M.P. High Court
   Dt. 21.7.1995

4. Mitan dt.21.9.1997
   Open Letter from President Chattisgarh Mukti Morcha to Chief Minister
   questioning the delay in the admission of the Appeal against Chandrakant Shah

न्यायालय- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रायपुर (म०प्र०)

दांडिक प्रक०प्र० 1087/92

शासन द्वारा थाना प्रभारी थाना-
कोतवाली जिला- रायपुर (म०प्र०) ....अभियोजन

विरुद्ध

चंद्रकांत शाह पिता राम जी शाह, उम्र-
40 वर्ष, सा० नेहरू नगर भिलाई दुर्ग (म०प्र०) ....अभियुक्त

//निर्णय//

(आज दिनांक-29/4/95 को पारित)

1- आरोपी के खिलाफ पुलिस अभिरक्षा से फरार होने बाबत धारा 224 भा०द०वि० का आरोप है।

2- संक्षिप्त में मामला इसप्रकार है कि दिनांक 28.4.92 के करीब 5.00 डी०के०अस्पताल रायपुर से आरोपी चंद्रकांत शाह, जो कि शंकर गुहा नियोगी हत्याकाण्ड में अभिरक्षा में निरुद्ध था किंतु दुर्ग न्यायालय के आदेशानुसार सेंट्रल जेल, रायपुर, इलाज हेतु स्थानांतरित किया गया था, जहाँ कि उसे डी०के०अस्पताल के "पेइंग वार्ड" में भर्ती किया गया था। चूंकि अभियुक्त विचाराधीन बंदी था, इसलिये पुलिस गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था और दिनांक 28.4.92 को शाम 5 से 6 बजे के मध्य पुलिसअभिरक्षा से फरार हो गया। विवेचना पर से आरोपी का पता नहीं मिलने पर प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 224 भा०द०वि० के अन्तर्गत अभियोग पत्र पेश किया गया।

3- प्रथम दृष्टि में आरोपी के खिलाफ धारा 224 भा०द०वि० का अपराध करना पाकर उक्त आशय का अपराध विवरण तैयार कर मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा समझाने पर आरोपी ने जुर्म करने से इंकार किया। मुलजिम बयान के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि डा० मुखर्जी की देख-रेख में उसका इलाज डी०के० अस्पताल में हो रहा था और आगे बताया कि दिनांक 28.4.92 को शाम 5 से 5.30 बजे दो पुलिस आफीसर यूनीफार्म में और सादे ड्रेस में आये और रूटीन पूछताछ के लिए पहले के मार्फिक ले गये। डी. डी. के सामने खड़े एक जीप में बिठाकर पुलिस लाइन की तरफ ले गये और कम्बल से ढंक दिया ... था बंदूक की नोक पर न जाने आठ-दस घण्टे तक

कहीं चलाकर ले गये, जंगल में लेजाकर झोपड़े में रखे थे और रास्ते में न - - जाने कहाँ पि आमोसिर उतर गये। इसे जंगल में अलग-अलग जगहों पर ट्रांसफर करते रहे। जंगल के लोगों के पहनावे से लगता था कि बस्तर के आदिवासी हैं क्योंकि जो लोग इसे खाना खिलाते थे, उनका नाम पुसन्ना, अपन्ना वगै• था। इस बीच इससे आठ-दस पेपर पर हस्ताक्षर ले लिया गया था और दिनांक 19•10•93 को इसे सद्दाणी दरबार के पास लाकर छोड़ा गया, वहाँ से सीधे रायपुर कोर्ट में आया, अपने वकील से मिला तो वकील ने तो इसने समर्पण किया कहा कि तुम्हारे खिलाफ वारंट है, तुम कोर्ट में आकर पेश हो जाओ, । सफाई में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया ।

4- विचारणीय बिंदु यह है कि क्या आरोपी विधिपूर्वक निरुद्ध रहते हुए अभिरक्षा से निकलकर भागा ?

5- प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 10 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है किंतु लक्ष्मीनारायण ﴾अ०सा० 1﴿ जो कि प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत था और अक्षय कुमार ﴾अ०सा० 2﴿ जो भूतपूर्व आरक्षक है, काफी महत्वपूर्ण साक्षी हैं। हालांकि इनके साथ-साथ राजेंद्र मिश्रा, रामजी आरक्षक और भोला सिंह आरक्षक भी उतने ही महत्वपूर्ण साक्षी हैं किंतु अभियोजन द्वारा रामजी और भोलासिंह का परीक्षण न कराकर उन्हें उन्मोचित कर दिया गया है। लक्ष्मीनारायण ﴾असा० 1﴿ और अक्षयकुमार ﴾असा० 2﴿ के अनुसार उपरोक्त नामांकित सभी आरक्षकों की 24 घण्टे की ड्यूटी आरोपी की निगरानी के लिए लगाई गई थी जिसमें लक्ष्मीनारायण प्रधान आरक्षक इसका इंचार्ज था, हर तीन-तीन घण्टे में आरक्षकों की ड्यूटी बदलते रहती थी । दिनांक 28•4•92 को दोपहर दो बजे इंचार्ज लक्ष्मीनारायण खानाखाने गया तो उस पर आरक्षक अक्षय कुमार की ड्यूटी 12 बजे से 3 बजे तक की थी और उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक आरक्षक भोलासिंह की ड्यूटी थी। जब यह 6 से 6•30 बजे खाना खाकर आया तो इसे अस्पताल में अभियुक्त नहीं मिला। इसने अस्पताल के नीचे आरक्षक राजेंद्र मिश्रा से कहा कि भोलासिंह उसे ड्यूटी समय खत्म होने के बाद चाबी दे रहा है और राजेंद्र मिश्रा इसलिए चाबी नहीं ले रहा है क्योंकि हवलदार उस समय नहीं था, राजेंद्र मिश्रा की सूचना के आधार पर लक्ष्मीनारायण तत्काल उपरी मंजिल में 22 नंबर के पेइंग वार्ड में गया, वहाँ इसे आरक्षक भोलासिंह मिला जो शराब के नशे में था, कहा कि वह टट्टी गया था, उस दौरान आरोपी वहाँ से भाग गया। अक्षयकुमार की ड्यूटी 12 बजे से 3 बजे की थी और यह भी बाद में जब लौटकर 6 बजे के आस-पास आया तो भोलासिंह ने इसे बताया था कि चंद्रकांतप्रसाद नहीं है। अक्षय-कुमार को भी भोलासिंह ने कहा था कि जब यह लेट्रीन गया था, तो

तो अभियुक्त कहाँ चले गया। इस प्रकार भोलासिंह की ड्यूटी के दौरान आरोपी का गायब होना इन दोनों साक्षियों के द्वारा बताया गया है किंतु इतने महत्वपूर्ण साक्षी होने के बावजूद भोलासिंह का बयान क्यों नहीं कराया गया, क्या इसके लिए अभियोजन के खिलाफ धारा 114 भा.साक्ष्य अधि. के तहत विपरित अनुमान नहीं लगाना चाहिए, वह भी ऐसी स्थिति में जब आरोपी यह कह रहा है कि उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा अगुवा कर लिया गया है तब तो ऐसे साक्षी का परीक्षण और भी इस बिंदु पर इसलिये कराना चाहिए था क्योंकि उसकी [भोलासिंह] की ड्यूटी उस समय थी और क्या वास्तव में वह उस समय लेट्रीन गया था और लेट्रीन जाने तक अभियुक्त को किसके भरोसे छोड़कर गया था और क्या महज लेट्रीन इसलिये गया ताकि आरोपी को ले जाया जा सके या आरोपी को भागने का मौका मिल जाये। तो ये सभी बिंदु पर केवल भोलासिंह ही प्रकाश डाल सकता था। लक्ष्मीनारायण के अनुसार भोलासिंह उस समय नशे में था, उसे ड्यूटी में नशा करने की इजाजत किससे मिल गई या नशे की सामग्री ड्यूटी के दौरान उसे कहाँ से मिला, ये सभी प्रश्न अनुत्तरित रह गये हैं।

6- लक्ष्मीनारायण ने आरोपी को बस स्टेण्ड, टेक्सी स्टेण्ड में ढूंढा नहीं मिलने पर जाकर थाने में गु0म0 रिपोर्ट लिखाया कंडिका 6 में लक्ष्मीनारायण का कथन है कि अभियुक्त को प्रतिदिन हथकड़ी लगाने के लिए उसके सिपाही तैनात रहते थे और हथकड़ी का ताला लगाकर चाबी इसे सौंप दिया जाता था, इस संबंध में कोई लिखापढ़ी नहीं होती थी, ऐसी व्यवस्था का आदेश कोई ऊपर से नहीं था, जैसे अन्य कैदियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाई जाती है, वैसे ही सुरक्षा इस अभियुक्त के मामले में भी थी। पुलिस लाइन से जब आरक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती थी तभी सीरियल नं0 में जैसा नाम होता था, उसी क्रम में आरक्षक लोग ड्यूटी करते थे, लिखित में को चार्ज नहीं लेते थे। भोलासिंह या राजेंद्र मिश्रा ने अभियुक्त के भाग जाने की लिखित रिपोर्ट इसे नहीं दी, भोलासिंह ड्यूटी में नशे में था इसलिये आरक्षक/अक्षयकुमार ~~[illegible]~~ को इसके पास छोड़कर राजेंद्र मिश्रा को लेकर आरोपी का ढूंढने निकला। अक्षयकुमार के अनुसार दिनांक 17.4.97 से 28.4.97 तक इसे अभियुक्त की सुरक्षा की ड्यूटी की, उस समय पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा अभियुक्त को चेक करने के लिए आते थे और इस बात को भी इसने सही बताया कि पुलिस के उच्च अधिकारी अभियुक्त को अपने कमरे में ले जाते थे उस समय उनके साथ डाक्टर भी रहता था, अभियुक्त को कहाँ ले जाते थे, नहीं मालूम कहाँ। शेष साक्ष्य धनीराम आरक्षक की ड्यूटी सर्टीफिकेट दिये

जाने के बारे में बताया कि पुलिस लाइन से पहले सर्टीफिकेट देकर ड्यूटी लगाई जाती थी और वापसी पर भी रक्षित केंद्र पुलिस लाइन वापसी रिपोर्ट पर आरक्षक द्वारा उन्हें उनके पास दिया जाता था। रविदास अ०सा० 4 बताया कि उसकी बूढ़ी सास की तबियत खराब थी; उसकी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थी, इसे नौकरी की जरूरत थी, अभियुक्त ने इसे अपने पास नौकरी के लिए लगा लिया था। अभियुक्त के पास इसने 15-20 दिनों तक काम किया। होटल से खाना लाने-लेजाने का काम करता था। जब ये पूजा करने शाम को गया तो अभियुक्त के साथ आरक्षक परिहार था और जब वह लौटा तब तक अभियुक्त फरार हो गया। यह स्वतंत्र साक्षी जो अभियुक्त के पास कुछ दिन तक अस्पताल में नौकरी किया, भी उस समय मौजूद नहीं था, जब आरोपी अस्पताल से गायब हुआ।

6- प्र०पी० 5 जो पुलिस ने जेलर से जप्त किया, जिसमें 16.3.92 को 11.50 बजे डी०के० अस्पताल में आरोपी के भर्ती करने का तथ्य शामिल है। दिनांक 12.3.92 को जिला जेल दुर्ग ने रायपुर जेल में आरोपी को स्थानांतरित किया, जेल महानिरीक्षक भोपाल के आदेश की प्रतिलिपि जो 7 है के अनुसार ही आरोपी को रायपुर के सेंट्रल जेल में भेजा जाना इस साक्षी ने प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधि० का यह तर्क है कि सबसे पहले आरोपी को विधि के अनुसार ही अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध किया गया है, यह प्रमाणित करना चाहिए था किंतु अभियोजन ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है या किसी ऐसा साक्ष्य का परीक्षण नहीं कराया है जो यह व्यक्त करता कि वास्तव में विधिपूर्वक आदेश से आरोपी निरुद्ध है। न तो उस न्याया० के आदेश की प्रतिलिपि लगाई गई न न्याया० के द्वारा जिस जेल रिमाण्ड तहत आरोपी को जेल भेजा गया, उस रिमाण्ड की प्रतिलिपि पेश की र्ग जेल से आए उस वारंट को पेश किया गया, जिसके तहत न्यायाधीश रोपी को विधि पूर्ण ढंग से निरुद्ध रखने का आदेश दिया के विद्वान अधिवक्ता न्याय दृष्टांत 1980, एमपीएलजे० 30 दयाराम का मामला पेश किये जिसमें धारा लिए यह धारित किया गया है कि जब तक आदेश से निरुद्ध है, उस आदेश को प्रमाणित धारित नहीं किया जा सकता कि आरोपी

भियोजन की ओर से व्यक्त किया गया कि यदि

जाने के बारे में बताया कि पुलिस-लाइन से पहले सर्टीफिकेट देकर ड्यूटी लगाई जाती थी और वापसी पर भी रक्षित केंद्र पुलिस लाइन वापसी रिपोर्ट पर आरक्षक द्वारा उन्हें उनके पास दिया जाता था। रविदास अ०सा० 4 बताया कि उसकी बूढ़ी सास की तबियत खराब थी; उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थी, इसे नौकरी की जरूरत थी, अभियुक्त ने इसे अपने पास नौकरी के लिए लगा लिया था। अभियुक्त के पास इसने 15-20 दिनों तक काम किया। होटल से खाना लाने-लेजाने का काम करता था। जब ये पूजा करने शाम को गया तो अभियुक्त के साथ आरक्षक परिहार था और जब वह लौटा तब तक अभियुक्त फरार हो गया। यह स्वतंत्र साक्षी है जो अभियुक्त के पास कुछ दिन तक अस्पताल में नौकरी किया, भी उस समय मौजूद नहीं था, जब आरोपी अस्पताल से गायब हुआ।

6- प्र०पी० 5 जो पुलिस ने जेलर से जप्त किया, जिसमें 16·3·92 को 11·50 बजे डी०के० अस्पताल में आरोपी के भर्ती करने का तथ्य शामिल है। दिनांक 12·3·92 को जिला जेल दुर्ग ने रायपुर जेल में आरोपी को स्थानांतरित किया, जेल महानिदेशक भोपाल के आदेश की प्रतिलिपि जो 7 है के अनुसार ही आरोपी को रायपुर के सेंट्रल जेल में भेजा जाना इस साक्षी ने प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधि० का यह तर्क है कि सबसे पहले आरोपी को विधि के अनुसार ही अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध किया गया है, यह प्रमाणित करना चाहिए था किंतु अभियोजन ने ऐसा कोई दस्तावेजपेश नहीं किया है या किसी ऐसा साक्ष्य का परीक्षण नहीं कराया है जो यह व्यक्त करता कि वास्तव में विधिपूर्वक आदेश से आरोपी निरुद्ध है। न तो उस न्याया० के आदेश की प्रतिलिपि लगाई गई न न्याया० के द्वारा जिस जेल रिमाण्ड के तहत आरोपी को जेल भेजा गया, उस रिमाण्ड की प्रतिलिपि पेश की गई, न दुर्ग जेल से आए उस वारंट को पेश किया गया, जिसके तहत न्यायाधीश महोदय ने आरोपी को विधि पूर्ण ढंग से निरुद्ध रखने का आदेश दिया था। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्याय दृष्टांत 1980, एम०पी०एल०जे० नोट 9 म०प्र० राज्य वि० दयाराम का मामला पेश किये जिसमें धारा 224 भा०दं०वि० के अपराध के लिए यह धारित किया गया है कि जब तक गिरफ्तारी पंचनामा या जिसके आदेश से निरुद्ध है, उस आदेश को प्रमाणित नहीं किया जाता तब तक यह धारित नहीं किया जा सकता कि आरोपी विधिपूर्ण अभिरक्षा में रहा।

अभियोजन की ओर से व्यक्त किया गया कि यदि

अभियोजन के किसी कर्मचारी को लापरवाही से अभियुक्त फरार हुआ तो उसके पि सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध विभागीय अथवा पृथक से आपराधि दायित्व निर्धारित कियाजा सकता है लेकिन उसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिलेगा। उन्होंने एक न्याय दृष्टांत काभी हवाला अपने लिखी तर्क के कंडिका तीन मे व्यक्त कियाहै । हालांकि न्याय० दृष्टांत पेश नहीं कियागयाहै औरन उपलब्ध है । उनका यह भी तर्क है कि साक्षी भोलासिं रमेंद्र या रामजी प्रकरण मे तात्विक साक्षी नहीं है, बल्कि पूर्व मे परीक्षित साक्षियों के परिपोषण के स्वरूप के साक्षी थे, इसलिये उनके पेश न करने से इस संबंध मे अभियोजन के विरुद्ध उपधारणा नहीं किया जा सकता । किंत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का इस बिंदु पर तर्क अधिक बलशाली है कि भोलासिंह एक ऐसा गवाह है जिसकी ड्यूटी आरोपी के गायब होनेके समय थी, क्योंकि अभियोजन द्वारा जो रेडियो मेसेज पेश कियागया, उसमें आरोपी के भागते समय वह कौन सा ड्रेस पहना था, कौन सा चप्पल पहना था, इसका भी हवाला है तो यदि किसीने आरोपी को जाते हुए नहीं देखा तो ड्रेस और चप्पल तक का हवाला रेडियो मेसेज में कैसे आ गया । इस संबंध मे जब आर०के०मिश्रा असा० 10को प्रतिपरीक्षण में पूछा गया तो पहले उसने कहा कि रेडिया मेसेज हम लोगों ने भेजा था, बाद में अपने ही बयान मे बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रेडियो मेसेज भेजा गया था। जब इसने आरोपी के हुलिया और कपड़ों का हवाला रेडियो मेसेज के समय दिया, फिर भोलासिंह के द्वारा सूचना के आधार पर नीला पेंट, सफेद हाफ शर्ट के बारे में कैसे बताया, फिर अपने ही बयान में खण्डन करते हुए कहता है कि पहले दिन की विवेचना टी॰आई॰साहब ने कियाहै इसलिये नहीं बता सकता कि थाने से किसके द्वारारेडियो मेसेज के लिए कपड़े का हुलिया दिया गया था, फिर कहा कि मेरे अंदाज से टी॰आई॰ साहब के द्वारा विवरण भेजा गया होगा । और जब तत्कालीन टी॰आई॰ कोतवाली ए॰के॰पाठक असा०8 से पूछा गया तो इसने कोई भी तफ्तीश इसके द्वारा नहीं करना बताया और न ही 29·4·92 रेडियो मेसेज के बारे में इसे जानकारी होना कहा। रेडियो मेसेज का आधार क्या है, ऐसा भी न बता सकना कहा। तो यदि हुलिया रेडियो मेसेज में है तो किसी न किसी ने भागते हुए जरूर देखा है ।

8- भा०सा०अधि०धारा 106 यही व्यक्त करता है कि किसी विशेष ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर रहता है जिसके ज्ञान

मे है इस बिंदु पर सभी साक्षी और विवेचक एक मत है कि कैदियों के लिए जो गार्ड लगाया जाता है, उसकी जिम्मेदारी पुलिस वालोंकी होती है और गार्ड सही रूप से काम कर रहा है उसकी देखरेख लाइन वाले ही करते हैं, थाने वाले नहीं। इसके बावजूद लाइन के किसी सुपरवाइजर स्टाफ का बयान नहीं लेने का कोई कारण नहीं बताया गया। और जहाँ तक रेडियो मैसेज के इबारतों का फायदा बचाव पक्ष के द्वारा लिये जाने का प्रश्न है तो जैसाकि न्याय दृष्टांत 1993 एम.पी.एल.जे. 532 एवं 1994 एमपीएलजे. 874 में स्पष्टत: उल्लेख है कि ऐसे दस्तावेज जो अभियोजन द्वारा पेश तो किये गये हैं किंतु उन्हें प्रदर्शित या प्रमाणित अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है तो भी उसका फायदा बचाव पक्ष द्वारा लिया जा सकता है। ये न्याय दृष्टांत उस रेडियो मैसेज में आरोपी के कपड़े-चप्पल वर्णन होने के बारे में उतने ही बिंदु के लिए बचाव पक्ष अपने फायदे के लिए करना चाह रहा है और बारंबार बचाव पक्ष का यह तर्क है कि यदि किसी ने उन कपड़ों में आरोपी को जाते हुए देखा, जिनका उल्लेख रेडियो मैसेज में है तो उन व्यक्तियों का परीक्षण अभियोजन द्वारा क्यों नहीं कराया गया।

9- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्याया० का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किये कि आरोपी की पत्नी ने इस आशय का आवेदन पुलिस के समक्ष पेश किया था कि उसके पति का अगुवा कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्र०डी० 3, 4 अभिस्वीकृति पत्र हैं, जिसके द्वारा प्र०डी० 5 और प्र०डी० 6 का नोटिस टी०आई०कोतवाली को आरोपी की पत्नी ने भेजकर बताया कि 28 अप्रैल 93 की शाम से उसके पति जो इलाज के डी०के०अस्पताल में भर्ती थे, लापता हो गए हैं और उन्हें यह आशंका है कि उनके पति का अपहरण कर लिया गया है। प्र०डी० 3 और 4 पर तत्कालीन टी.आई.साहब के हस्ताक्षर होना, अ०सा० 10 आर०के०मिश्रा उप. निरी० ने कबूल की है, फिर भी इस विवेचक द्वारा इस बिंदु पर कोई तफ्तीश क्यों नहीं की गई, पूछनेपर इसका सपाट जवाब था कि दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य से वे इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि आरोपी स्वयं फरार हुआ था। फिर आरोपी की पत्नी की इसनोटिस के आधार पर क्या कार्यवाही की गई, सूचित क्यों नहीं किया गया, इस बिंदु पर साक्षी विवेचक मौन है। इसीलिए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता व्यक्त करते हैं कि एकतरफा दुर्भावनापूर्ण तरीके से विवेचना की गई है। ऐसे कोई साक्ष्य न्याया० के समक्ष आने से अभियोजन द्वारा रोका गया है जो बचाव पक्ष के सहायक था। बचाव पक्ष की ओर से प्र०डी० 1 की ओर न्याया० का ध्यान आकर्षित

कर इस बिंदु पर विवेचक की स्वीकृति पर भी गौर करना बताया गया है क्योंकि प्र0पी0 1 में अलग-अलग व्यक्तियों की लिखावट है । अभियोजन पक्ष के इस आक्षेप पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण घोर आपत्ति किये कि आरोपी आत्मसमर्पण इसलिये किया क्योंकि उसके खिलाफ संपत्ति की कुर्की होकर धारा 82-83 द.प्र.सं. की कार्यवाही चल रही थी, बचाव पक्ष द्वारा यह व्यक्त किया गया कि दि. 29.3.94 को ही माननीय उच्च न्याया0 से संपत्ति की कुर्की के बारे में आदेश हो चुका था। फिर भी छः सात महीने तक आरोपी गायब क्योंकर रहता। न्याय दृष्टांत 1960 क्रि0ला0ज0 पृष्ठ 502 शंकर बेहरा वि0 राज्य के मामले में यही प्रतिपादित किया गया है कि यदि यह प्रमाणित हो कि ऐसा दुर्भावनापूर्ण विवेचना की गई है कि जिसके परिणाम निश्चित रूप से बचाव पक्ष को सहायता पहुंचाने वाले तथ्यों को न्याया0 के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है तो आरोप सिद्ध नहीं माना जाता। ब

11- बचाव पक्ष ने न्याया0 का ध्यान आरोपी के लापता होने की तारीख की ओर दिलाकर व्यक्त किये कि 28.4.92 के साढ़े पांच बजे याने गर्मी का दिन और अस्पताल में 4 से 6 बजे तक रोगियों से मिलने आने और जाने वालों की भीड़ साथ ही जिस कमरे में आरोपी को रखा गया था, उसके आस-पास के कमरे में भी लोग आ जा रहे थे, फिर भी अस्पताल के ऐसे किसी साक्षी का बयान नहीं कराया जाना दुर्भावना नहीं है तो और क्या है । प्रथम सूचना पत्र प्र0पी0 1 में घटना का समय 28.4.92 के 5.30 बजे शाम दिया गया है और रिपोर्ट 23.15 बजे की गई है। मात्र एक कि.मी. दूरी होने के बावजूद इतने अत्यधिक विलंब का कारण नहीं दर्शाया गया है। और अंत में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आरोपी की तथा-कथित फरारी के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्0 नहीं किया गया और वह स्वतः होकर न्याया0 में आत्मसमर्पण किया। यदि आरोपी सआशय भागता तो आकर समर्पण नहीं करता वह भी ऐसी स्थिति में जब माननीय उच्च न्याया0 से उसके समर्पण के छः माह पहले ही उसकी संपत्ति रीलिज़ हो चुकी थी इस संबंध में न्याय0 दृष्टांत 1957 क्रि0ला0ज0 पृष्ठ 1284 रेप्टाकुरायन एवं अन्य का मामला पेशकर व्यक्त किये कि धारा 224 प्रमाणित करने के लिए आरोपी का आशय प्रमाणित करना आवश्यक होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष यह व्यक्त करते है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के

अपराध प्रमाणित नहीं किया जा सका।

11- अभियोजन द्वारा प्रस्तुत यह तर्क स्वीकार योग्य है कि स्वतंत्र साक्षियों को पेश न करने से ही सभी पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा धारित नहीं किया जासकता। साथ ही आरोपी ने अपने मुलजिम बयान में अपहरण बाबत जो कहानी पेश किया है, वह मनगढ़ंत है। जब कि अभियुक्त ने कहानी के प्रत्येक श्रृंखला को न तो जोड़कर दिखाया है और न प्रमाणित कर सका है/किंतु क्या आरोपी को उसके द्वारा बताए गए कहानी को उस स्थिति में प्रमाणित करनेकी आवश्यकता है जब अभियोजन द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि आरोपी साशय विधिपूर्ण अभिरक्षा से फरार हुआ ।

12- उपरोक्तानुसार बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलें, न्याय दृष्टांत स्वीकार योग्य होने से यही धारित किया जाता है कि अभियोजन द्वारा धारा 224 भादवि0 का अपराध प्रमाणित करने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रमाणित नहीं किया गया है कि आरोपी विधिपूर्ण अभिरक्षा में था और साशय विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक पाया गया कि सुरक्षा कर्मी बंदी के सुरक्षा हेतु कितने सजग थे कि वे नशे में ड्यूटी के समय पाये गये और अकेले आरोपी को छोड़कर लेट्रीन चले गये, (अंकित) तात्विक साक्षियों का कथन अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है, निष्पक्ष विवेचनानहीं की गई है, धारा 224 भादवि का अपराध प्रमाणित करने के लिए वांछित वैधानिक तथ्यों को प्रमाणित नहीं कियागयाहै, जिनके प्रथम सूचना पत्र लिखा गया है। इन समस्त तथ्यों के आधार परप्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित नहीं कर सका कि आरोपी ने धारा224 भादवि0 का अपराध किया। इसलिये आरोपी को धारा 224 भादवि0 के अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषममुक्त किया जाता है। ~~तदनुसार अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।~~

...अधिकारी,

रायपुर, रायपुर (म0प्र0)

दिनांक 29.4.95